

पञ्चायत उपखण्ड अधिकारी पीपलू जिला टोंक (राज०)

पीठासीन अधिकारी अनिता कुमारी खटीक (आर.ए.एस.) द्वारा अध्यासित

संख्या-06/2024

प्रविष्टि दिनांक-19.01.2024

दिनांक-24.01.2025

पुत्र जुवारा जाति खटीक निवासी ग्राम पीपलू तहसील पीपलू जिला टोंक (राज०)

प्रार्थी

बनाम

तहसीलदार पीपलू जिला टोंक (राज०)

अप्रार्थी

प्रार्थी-श्री चतुर्भुज गुर्जर एड०

तहसीलदार पीपलू स्वयं उपस्थित

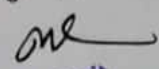
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136

राज० भू० राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं की भूमि आराजी ख०न० 2266, 97 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1117 हैक्ट. व भूमि आराजी ख०न० 1183, 1185 कुल किता 02 कुल 0.1896 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू प्रथम में स्थित है। जिसका प्रार्थी बहैसियत मालिक, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम भीमा पुत्र जवाहरा अंकित कर दिया है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक है। प्रार्थी के पिता का नाम भीमा पुत्र जवाहरा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र जुवारा सही अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त ग्राम पीपलू की खाता संख्या 441 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से भीमा पुत्र जवाहरा जाति खटीक दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरुस्ती करवाया जाकर प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र जुवारा दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

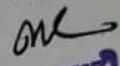
पत्रावली दर्ज पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू की गई तथा अप्रार्थी तहसीलदार पीपलू से तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त की गई है। तहसीलदार पीपलू ने तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रस्तुत कर


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टोंक)

न किया की ग्राम पीपलू के भूमि आराजी ख0न0 2266, 573, 597 भीमा पुत्र जुवाहरा हि. 1/5 जाति खटीक खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के सही नाम भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक की जांच हेतु ग्राम के ग्राम पहुंचा। उपस्थित ग्रामवासियों में बताया की प्रार्थी को भीमा पुत्र जवाहरा व भिवडा पुत्र जुवारा दोनों से जाना जाता है। मजमेआम का मौका पर्चा संलग्न है। प्रार्थी द्वारा पेश शपथ पत्र अनुसार प्रार्थी का सही भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक है। प्रार्थी द्वारा पेश मुल दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, जनाआधार आदि में प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र जुवारा अंकित है। मुताबिक प्रमाण पत्र ग्राम पंचायत पीपलू प्रार्थी को पुत्र जवाहरा व भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक दोनों नामों से जाना जाता है। मुताबिक प्रमाण पत्र प्रधान समिति पीपलू प्रार्थी को भीमा पुत्र जुवाहरा व भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक दोनों नामों से जाना जाता

अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रस्तुत तथ्यात्मक रिपोर्ट पर बहस का निवेदन किया। बहस उभयपक्ष सुनी। त्ता प्रार्थी ने दौराने बहस प्रा0पत्र में अंकित तथ्यों का दोहरान करते हुए बताया की भूमि आराजी ख0न0 573, 597 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1117 हैक्ट. व भूमि आराजी ख0न0 1183, 1185 कुल किता 02 कबा 0.1896 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू प्रथम में स्थित है। जिसका प्रार्थी बहैसियत स्वामी, खातेदार काबिज काश्तकार है। उक्त वर्णित आराजीयात में प्रार्थी का नाम भीमा पुत्र जवाहरा कर रखा है। जबकि प्रार्थी का सही एवं वास्तविक नाम भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक है। प्रार्थी के पिता विवास हो चुका है तथा उस समय प्रार्थी के पिता की विरासत का नामान्तकरा भरवाते समय प्रार्थी के घर गे जाने वाला नाम भीमा पुत्र जवाहरा दर्ज कर दिया गया। जबकि प्रार्थी के आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, कार्ड, मतदाता पहचान पत्र, बैंक खाते आदि सभी दस्तावेजात् में प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र जुवारा सही अंकित हो रखा है, लेकिन उक्त ग्राम पीपलू की खाता संख्या 441 में प्रार्थी का नाम गलत रूप से भीमा जवाहरा जाति खटीक दर्ज कर दिया गया। जिसकी दुरुस्ती करवाया जाकर प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र दर्ज किया जाना आवश्यक एवं न्यायसंगत है।

अप्रार्थी तहसीलदार ने अपनी बहस में बताया की ग्राम पीपलू के भूमि आराजी ख0न0 2266, 573, 597 पुत्र जुवाहरा हि. 1/5 जाति खटीक सा.देह खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। प्रार्थी के सही नाम भिवडा पुत्र जुवारा खटीक की जांच हेतु ग्राम के मजमेआम पहुंचा। उपस्थित ग्रामवासियों में बताया की प्रार्थी को भीमा पुत्र व भिवडा पुत्र जुवारा दोनों नामों से जाना जाता है। मजमेआम का मौका पर्चा संलग्न है। प्रार्थी द्वारा पेश पत्र अनुसार प्रार्थी का सही नाम भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक है। प्रार्थी द्वारा पेश मुल दस्तावेज आधार राशन कार्ड, जनाआधार कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम भिवडा पुत्र जुवारा अंकित है। मुताबिक प्रमाण पत्र पंचायत पीपलू प्रार्थी को भीमा पुत्र जवाहरा व भिवडा पुत्र जुवारा जाति खटीक दोनों नामों से जाना जाता है। मुताबिक प्रमाण पत्र प्रधान पंचायत समिति पीपलू प्रार्थी को भीमा पुत्र जुवाहरा व भिवडा पुत्र जुवारा जाति दोनों नामों से जाना जाता है।


उप खण्ड अधिकारी
पीपलू (टॉक)

हमने पत्रावली व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों यथा आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड, राशन कार्ड, मतदाता न पत्र, बैंक खाता व तहसीलदार पीपलू तहसीलदार पीपलू द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन एवं उभयपक्ष हस पर मनन किया गया। उक्त अवलोकन से स्पष्ट है की प्रार्थी का शुद्ध नाम भिवडा पुत्र जुवारा जाति है, जबकि भूमि आराजी ख0न0 2266, 573, 597 कुल किता 03 कुल रकबा 2.1117 हैक्ट. व भूमि आराजी 1183, 1185 कुल किता 02 कुल रकबा 0.1896 हैक्ट. वाके ग्राम पीपलू पटवार हल्का पीपलू प्रथम के रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम भीमा पुत्र जवाहरा दर्ज रिकॉर्ड है, जो त्रुटीपूर्ण है। अतः उक्त वर्णित आराजीयात त्रुटिपूर्ण नाम भीमा पुत्र जवाहरा जाति खटीक के स्थान पर भिवडा पुत्र जाति खटीक हि0 जमाबंदी अनुसार दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। निर्णय आज दिनांक 2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। पत्रावली निर्णित शुमार होकर नम्बर हो एवं नियमानुसार दफ्तर दाखिल हो।


(सुनिता कुमारी खटीक)
उपखण्ड अधिकारी पीपलू
जिला टोंक (राज0)